

(b) what steps the Union Territory Administration have taken or propose to take for revising the orders of those Lecturers whose placement in the Senior scale and selection grade w.e.f. 1st January, 1986 vis-a-vis their junior on the basis of seniority goes against the clarification of Government of India contained in letter No. 4-20/92-UT-I dated 10th May, 1993;

(c) the number and details of such cases referred in part (a) and (b) above; and

(d) by when the corrective steps are likely to be taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त का पद

3424. श्री रामदेव भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त के 18 पद हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति सहायक आयुक्त के पदों पर हुई है ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है ;

(घ) क्या जनवरी, 1994 में चार सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की गई है ;

(ङ) क्या इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किन्हीं उम्मीदवारों की भी नियुक्ति हुई है ;

(च) इस आरक्षण कोटे के पूरे न किए जाने के कारण क्या-क्या हैं ;

(छ) क्या सरकार शीघ्र ही आरक्षण कोटा पूरा करेगी ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी खूबिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों के 4 सहायक आयुक्त और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक सहायक आयुक्त है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) से (ज) दिसम्बर, 1993-जनवरी, 1994 के दौरान, 4 सहायक आयुक्त (3 साधारण कोटि के तथा 1 अनुसूचित जाति कोटि का) नियुक्त किए गए थे । अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद नहीं भरा जा सका क्योंकि पात्र अभ्यर्थियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और रिक्त पद को नियमानुसार, संगठन द्वारा पुनः विज्ञापित किया जाएगा :

राष्ट्रीय पुस्तक नीति का लागू किया जाना

3425. श्रीमती सरला माहेरवरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक नीति को लागू किए जाने के उद्देश्य क्या-क्या थे,

(ख) इस नीति का अब तक लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की किसी समीक्षा की कोई आवश्यकता समझी जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा